कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

भवन मानचित्र समिति-द्वितीय{सीपीसी} की बैठक सं0 53/2000 दिनांक 13-6-2000 को सायं 4·00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण -

---

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया -

1- श्री पी·आर· शर्मा, निदेशक {वित्त} जविप्रा, जयपुर ।
2- श्री एस·एल· माथुर , निदेशक{ अभियांत्रिकी} जविप्रा, जयपुर ।
3- श्री ए·एन· भार्गव, वरिष्ठ नगर नियोजक{सीपी} जविप्रा, जयपुर ।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे -

1- श्री बी·एस· परमार, उपायुक्त, जोन ए-2, जविप्रा, जयपुर ।
2- श्री वी·के· जैन, प्राधिकृत अधिकारी, जोन ए-2, जविप्रा, जयपुर ।
3- श्री गिर्राज अग्रवाल, सहायक आयुक्त, जोन ए-1, जविप्रा, जयपुर ।
4- श्री प्रेमशंकर, उप नगर नियोजक{सीपी} जविप्रा, जयपुर ।
5- श्री मुकेश मित्तल, सहायक नगर नियोजक{सीपी} जविप्रा, जयपुर ।
6- श्री अनन्त देव टांक, सहायक नगर नियोजक, ए-1, जविप्रा, जयपुर ।
7- श्री देवेन्द्र सैनी, सहायक नगर नियोजक, जोन ए-2, जविप्रा, जयपुर ।

{1} बीपीसी-II{सीपीसी} की बैठक सं0 52/2000 दिनांक 8-6-2000 का कार्यवाही विवरण समिति के पुष्टिकरण हेतु ।

कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गयी ।

{2} एजेण्डा आईटम -

2·1- एजेण्डा सं0 53/2000-1 :- एवरेस्ट कॉलोनी के भूखण्ड सं0 5 के मानचित्र अनुमोदन बाबत {जोन ए-1} :-

प्रकरण को स्थगित किया गया ।

2·2- एजेण्डा सं0 53/2000-2 :- माणिक्यपुरी हाउसिंग को-आपरेटिव सोसायटी लि· जयपुर की स्कीम नं· 12ए बोहरा जी का बाग खसरा नं· 95/2, 98/3, 98/4, 99, 98/1 ग्राम नाहरगढ़ की योजना मानचित्र अनुमोदन के संबंध में :-

प्रकरण पर विचार-विमर्श किया गया । योजना मानचित्र का अवलोकन किया गया एवं निम्नांकित निर्णयों के साथ योजना मानचित्र का

अनुमोदन किया गया -

1- भूखण्ड सं0 1,3,6,5 के सामने स्थित रोड़ को 25 फिट चौड़ा किया जाये ।

2- भूखण्ड सं0 1 के पूर्व में स्थित आमेर रोड़ 160 फिट की है । अत: उक्त रोड़ के मध्य बिन्दु से 80 फिट छोड़ते हुए योजना का अनुमोदन किया गया ।

3- भूखण्ड सं0 1 व 3 के दक्षिण में 9 फिट की लेन प्रस्तावित है जिसका कोई उपयोग नहीं है । अत: इसे समाप्त कर भूखण्डों में मिलाने का निर्णय लिया गया । इस भूमि का नियमन राजकीय भूमि मानकर किया जाये ।

4- भूमि का भू उपयोग उपान्तरण आवासीय में करने हेतु जविप्रा अधिनियम 1982 की धारा 25(3) के तहत अधिसूचित किया जाये ।

2·3- एजेण्डा सं0 53/2000- 3 :- माणिक्यपुरी हाउसिंग को-आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड जयपुर की स्कीम नं· 7 खसरा नं· 88, ग्राम-नाहरगढ़ की योजना अनुमोदन के संबंध में :-

प्रकरण पर विचार किया गया । योजना मानचित्र का अवलोकन किया गया और यह तथ्य उभर कर आया कि उक्त योजना राजकीय भूमि पर स्थित है एवं मौके पर फैक्टरी चालू है । अत: वाद विचार-विमर्श निम्नांकित निर्णय लिये गये -

1- योजना का कैम्प तुरन्त कैन्सिल किया जाये ।

2- योजना अस्वीकृत की गयी ।

3- उपायुक्त, ए-2 को निर्देश दिये गये कि तुरन्त अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करें ।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई ।

सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति-द्वितीय(सीपीसी)
जविप्रा, जयपुर ।

क्रमांक: एफ-11(14)जविप्रा/वनिन/सीपी/53/2000/डी- 300.
दिनांक : 24-6-2000.

प्रतिलिपि:-

1- वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर ।

2- निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर ।

3- निदेशक (आयोजना)/(विधि)/(वित्त)/(अभियांत्रिकी) जविप्रा, जयपुर ।

4- अति॰ आयुक्त (भूमि एवं योजनाएं) जविप्रा, जयपुर ।

5- उपायुक्त/ प्राधिकृत अधिकारी/ सहायक नगर नियोजक, जोन ए-1, ए-2, जविप्रा, जयपुर ।

6- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर ।

सदस्य सचिव
बीपीसी-11 (सीपीसी)